

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प **कुवर खेण**

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी **कुवर खेण** व नू.अ.नि. **९२२**
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **भीम** / चायत तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम **सुनारकुडी** तहसील **भीम** व जिला **शुद्धगढ़**
 की जमाबन्दी संख्या **2024, 2022** में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1-	सुनारकुडी	126, 179, 181 181, 197, 212 234, 257 268, 307	माला/जेना	मालाखेह/जेनाखेह

कुवर खेण
 पीठासीन अधिकारी एवं
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 पदेन सहा. कलक्टर
 जिला-राजसमन्द

दिनांक :- **24.06.25**

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

कुवर खेण
 पीठासीन अधिकारी एवं
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 पदेन सहा. कलक्टर
 जिला-राजसमन्द